न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) रेवाड़ी - गिरफ्तारी

अभियोक्ता - रविन्दर बनाम अमरसिंह आदि

प्रकरण संख्या - 151/52/25

15/8/2025

आज दिनांक पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं है। बार-2 आवाजें दिलवाई गयी लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली की गहन अध्ययन से भी वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं रहा। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम पैरवी अदम पैरवी के कारण पत्रावली खारिज की जाती है। कि पत्रावली प्रकरण पुनः दायर करने की छूट के साथ खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार रेवाड़ी को भेजी जाये।

(जिला [illegible]
जिला [illegible] रेवाड़ी)